

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अपील सम्बन्धी प्रावधान एवं प्रक्रिया

परिचय :

केन्द्रीय संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र व राज्यों में समान रूप से लागू किया गया है। इस अधिनियम में नागरिकों को लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुँच प्रदान की गयी है। किसी भी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। इन लोक सूचना अधिकारियों को शासन सचिवालय स्तर पर, विभागाध्यक्ष स्तर पर, कमिशनर स्तर पर, जिला स्तर पर तथा आवश्यकतानुसार जिले के नीचे उप खण्ड स्तरों पर भी नामित किया गया है।

जन साधारण से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के अनुसार उन्हें सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की है। अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनामित किये जाते हैं जो सूचना प्रदान करने में नागरिक की सहायता करते हैं। लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधीन धारित सूचना को अनुरोधकर्ता को शीघ्र किन्तु विलम्बतम 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दें या अनुरोधकर्ता के अनुरोध पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत 5 दिन के भीतर ऐसे लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय को अग्रेशित कर दें जिससे सूचना सम्बन्धित है।

उत्तर देने वाले लोक सूचना अधिकारी को यह देखना आवश्यक है कि मॉगी गयी सूचना अथवा उसका कोई भाग अधिनियम की धारा 8 या 9 के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त तो नहीं है। आवेदन के छूट के अन्तर्गत आने वाले भाग के संबंध में किये गये अनुरोध को नामंजूर कर देना चाहिये तथा शेष सूचना तत्काल अथवा अतिरिक्त शुल्क लेने के बाद, जैसा भी मामला हो, मुहैया करवा दी जानी आवश्यक है।]

2. सूचना क्या है? :

इस अधिनियम के अनुसार किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री "सूचना" है। इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, ऑकड़ों संबंधी आधार-सामग्री शामिल है। इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के तहत प्राप्त कर सकता है।

व्यक्ति को जानकारी सामान्यतः उस रूप में दी जानी चाहिये जिस रूप में मॉगी गयी है। इसका अर्थ यह है कि यदि जानकारी छाया प्रति के रूप में मॉगी गयी है तो तो यह छाया प्रति के रूप में मुहैया करायी जावे और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मॉगी जाती है तो अधिनियम में दी गयी शर्तों के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया करायी जानी चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया करावे।

3. सूचना का अधिकार :

अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार "सूचना" का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी "सामग्री" से है। उक्त अधिनियम के तहत नागरिक को

246	Please fill RTI Information (01.01.2023 to 31.12.2023)			Full Name of College (in English)	College Name (in Hindi)	Title (Dr-Mr-Ms)	Gender (M-F)	Principal Name (English)	Principal Name (Hindi)	Date of Birth (DD-MM-YYYY)	Designation (Principal-Working Principal)	ROLE (PIO)
SNo.	Email	District	College Name									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	sdcollegebeawar@gmail.com	Ajmer	Govt College, Beawar	S. D. Govt College, Beawar	सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	Dr.	M	Sushil Kumar Bissu	सुशील कुमार बिस्सु	05 03 1965	Principal	PIO
Email ID of	College Address	College Address	Pincode	Principal's Mobile No.	Principal's SSO_ID	महाविद्यालय स्तर	महाविद्यालय स्तर	महाविद्यालय स्तर	समयावधि में सूचना	समयावधि पश्चात	अस्वीकृत आवेदन	लंबित आवेदन
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
susilkbissu@gmail.com	UDAIPUR ROAD, BEAWAR	उदयपुर रोड ब्यावर।	305901	9414840898	RJA/199201021346	0	9	9	6	0	3	0
प्राप्त राशि रूप में (आवेदन शुल्क एवं	आयुक्तालय से महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त	निस्तारित प्रथम अपील की संख्या	संवित प्रथम अपील की संख्या	विभाग/लाक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2023 में								
27	28	29	30	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी					
96	4	4	0	31	32	33	34					
				0	0	0	0					